भारत सरकार
कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2355

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025
सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

पुडुचेरी में बेरोजगार युवा

2355. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपलब्ध नौकरियों और कौशल के बीच असंतुलन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की कमी और उद्‌यमिता के अपर्याप्त अवसरों के कारण पुडुचेरी में युवाओं में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पुडुचेरी में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी नियोज्यता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षण पहलों, रोजगार मेलों, स्टार्ट-अप सहायता योजनाओं और उद्‌योगों के साथ सहयोग का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और युवाओं में बेरोजगारी को स्थायी और प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्‌यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वर्ष 2023-24 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर 2017-18 में 33.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 14.6 प्रतिशत हो गई है।

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और औद्‌योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पुदुचेरी सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्‌योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

पुदुचेरी में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

पीएमकेवीवाई (इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 31.10.2025 तक)	एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से) 31.10.2025 तक)	आईटीआई (वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक)
35,597	14,080	5,336

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की योजनाएं मांग आधारित हैं और इन योजनाओं के तहत आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित या संचालित किए जाते हैं। पुदुचेरी में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की योजनाओं के तहत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का ब्यौरा इस प्रकार है:

पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र *(एसपी+एसटीटी)	एनएपीएस प्रतिष्ठान	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
22	268	15

* अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाएं (एसपी)

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए, संबंधित क्षेत्रों के अग्रणी उद्योग के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है। इन परिषदों को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने और कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 8693 योग्यताओं को अनुमोदित किया है, जिनमें से 2266 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं, जबकि 6427 योग्यताएं अप्रासंगिक होने के कारण संग्रहीत कर दी गई हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) का शुभारंभ किया है, जो एक एकीकृत मंच है और कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इको सिस्टम को आपस में जोड़कर जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे वे संभावित नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं। सिद्ध के माध्यम से उम्मीदवार रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा, पुदुचेरी सहित पूरे देश में प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं।

रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, भारत सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण के अतिरिक्त उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण और पक्ष समर्थन के माध्यम से एक समावेशी उद्यमशीलता इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। समावेशी उद्यमशीलता इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) उद्यमशीलता प्रोत्साहन हेतु योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम; एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम; पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु फंड स्कीम; नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता प्रोत्साहन योजना; स्टार्टअप इंडिया; स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम; पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का उन्नयन; टैक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन एवं उद्यमी विकास योजना, आदि।

(ii) सरकार ने जनवरी 2016 में देश के स्टार्टअप इको सिस्टम में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इको सिस्टम बनाने के उद्देश्य से, स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। इस पहल के तहत फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख योजनाएं स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं।

(iii) इसके अलावा, युवाओं को व्यावसायिक उद्यम या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए ऋण/क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा आदि जैसी विभिन्न योजनाएं लागू करती है।

(iv) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से, पुदुचेरी सहित पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करता है।

****